न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

चुन्नीलाल बनाम ओमप्रकाश वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 192/2025 (पुष्कर)

दिनांक 22/4/25

	श्री नवीन गुर्जर एड	
21.04.2025	चुन्नीलाल बनाम ओमप्रकाश वगैरह (2025/192) यह अपील श्री नवीन गुर्जर एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 22.04.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
22.04.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिस पर एकपक्षीय रूप से सुना जाकर अंतरिम स्थगन आदेश दिया जाकर पेशी दिनांक 26.03.2025 नियत की गई। दिनांक 26.03.2025 को प्रकरण में सुनवाई नहीं हो पायी तथा आगामी पेशी दिनांक 02.04.2025 नियत की गई। दिनांक 02.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 01, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब पेश किया गया, तथा प्रकरण को जवाब सरकार में नियत किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 16.04.2025 नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवश्यक रूप से 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **अजमेर**	

Scanned with CamScanner